न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

भीम साव वगैरह बनाम गोपाल महतो वगैरह

वाद संख्या – 84 / 2023

धारा – 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14.08.23	आदेश यह वाद आवेदक भीम साव पिता स्व0 मंगर साव वगैरह साकिन – बेको, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारम्भं किया गया। प्रथम पक्ष के भीम साव पिता स्व0 मंगर साव वगैरह बनाम द्वितीय पक्ष के गोपाल महतो पिता किट्टी महतो वगैरह को प्रश्नगत भुमि पर धारा – 144 दं0प्र0सं0 कि प्रक्रिया प्रारम्भ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भुमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भुमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग गई। प्रश्नगत भुमि का विवरण निम्न प्रकार है। मौजा – बेको, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0 – 132, प्लॉट नं0 – 2465, रकबा – 19 डी0 चौहदी उ0 – दुखवा गवाला वगैरह, दं0 – नीज, पू0 –भूटिया तेली, पं0 – टांड तालो महतो हाल चौहदी उ0 + दं0+ पु0 – भीखनी देवी, पं0 – चरण महतो वगैरह। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों थाना प्रभारी बगोदर के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन करने वो उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन सुनने से स्पष्ट होता है कि यह मामला भुमि के हक हकियत से संबंधित है। साथ ही इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई	

थोगडिया [*Appeal (Crl.)401 of 2004*] कहा है कि "*.....more preventive in nature and not punitive in their effect and consequences*". अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

14/08/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

14/08/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.09.14 12:28:25 +05:30
Location: 192.168.1.13